डाक / ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(1)खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2020 जयपुर, दिनांक : 23-03-2020

गेहूं आवंटन आदेश मई, 2020
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8 / 2013–बी.पी.–III, दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07 / 08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 तथा विभागीय आदेश क्रमांकःएफ 13(6)खा.वि. / आवंटन / 2019 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी राशनकार्डधारियों को निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु पात्रतानुसार माह मई, 2020 हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों / परिवारों को खाद्यान्न(गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह मई,2020 के पेटे गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

गेहूं आंवटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों / लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 23.03.2020 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह मई, 2020 का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकानों को गेहूं की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी–अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी) के राशनकार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी।

7– जिलेवार खाद्यान्न(गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु

पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूं का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर –

(अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर(रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाए।

(ब) गेहूं का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) में गेहूं के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

12– माह मई, 2020 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह मई, 2020 का आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

कमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018–II जयपुर, दिनांक : 23-03-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
6. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माह मई, 2020 हेतु आवंटित गेहूं की मात्रा का निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर नियति वैधता अवधि में उठाव सुनिश्चित करावें।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

Wheat Allotment May-2020

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		1 Rs per K.G			2 Rs per K.G	
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	616.431	1085.255	445.978	6102.445	8250.109
2	Alwar	682.157	1630.589	567.838	10029.324	12909.908
3	Banswara	1539.997	2856.911	875.262	3136.442	8408.612
4	Baran	1540.155	974.918	221.290	2693.851	5430.214
5	Barmer	805.313	2856.871	447.541	5572.371	9682.096
6	Bharatpur	511.252	1640.238	389.594	5951.216	8492.300
7	Bhilwara	830.560	1877.507	624.908	4608.577	7941.552
8	Bikaner	397.453	2258.605	498.916	3290.224	6445.198
9	Bundi	429.113	805.960	240.419	2512.914	3988.406
10	Chittaurgarh	956.408	1078.452	687.473	2375.606	5097.939
11	Churu	772.717	2115.993	446.292	3695.665	7030.667
12	Dausa	333.941	1218.221	185.288	4111.671	5849.121
13	Dhaulpur	297.742	867.348	184.339	3302.628	4652.057
14	Dungarpur	1088.194	2951.400	404.404	2309.577	6753.575
15	Ganganagar	400.681	1501.234	172.880	3846.599	5921.394
16	Hanumangarh	474.317	1171.117	207.574	3452.309	5305.317
17	Jaipur	444.097	1845.060	595.300	12909.563	15794.020
18	Jaisalmer	213.058	551.189	142.192	1225.348	2131.787
19	Jalor	738.899	1719.387	373.805	3515.815	6347.906
20	Jhalawar	548.095	1320.508	339.682	3614.811	5823.096
21	Jhunjhunun	312.933	618.879	236.354	5707.607	6875.773
22	Jodhpur	278.204	1965.501	224.576	8000.836	10469.117
23	Karauli	557.507	1723.664	322.583	2439.185	5042.939
24	Kota	318.091	1286.403	195.039	3291.271	5090.804
25	Nagaur	560.929	1572.847	425.061	9451.013	12009.850
26	Pali	648.163	1542.517	400.069	4208.307	6799.056
27	Pratapgarh	485.778	1319.735	321.295	1751.543	3878.351
28	Rajsamand	643.515	1135.905	305.444	2528.451	4613.315
29	Sawai Madhopur	492.348	912.661	331.604	2538.866	4275.479
30	Sikar	295.082	935.049	207.220	7771.053	9208.404
31	Sirohi	356.788	726.019	233.201	2730.450	4046.458
32	Tonk	567.336	1022.430	428.121	3302.233	5320.120
33	Udaipur	1809.786	4519.050	957.433	5301.003	12587.272
	Total	**20947.040**	**51607.423**	**12638.975**	**147278.774**	**232472.212**